**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10952/2026
CNR: RJHC020639262026 | URN: CRLMB / 20277U / 2026

Durgesh S/o Gordhan, Aged About 35 Years, R/o Jat Ki Saray, Police Station Hindaun City, District Karauli, Raj.
(At Present accused-petitioner confined in District Jail Karauli).

----Accused-Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10494/2026
CNR: RJHC020630982026 | URN: CRLMB / 19453U / 2026

1. Leekesh Kumar S/o Lakhan Singh, Aged About 27 Years, R/o Singhania, Thana Ghadi Bajna, District Bharatpur, Rajasthan.
2. Vinod Kumar S/o Ramso, Aged About 26 Years, R/o Kolupura, Thana Rudawal, District Bharatpur, Rajasthan.
(At Present both confined at Sub Jail Hindaun City, Karauli).

----Accused-Petitioners

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Jiya UR Rahman, Adv.<br>Mr. L.N. Kapoor, Adv.<br>Mr. Ajay Khedar, Adv. for<br>Mr. Satish Kumar Khandal, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Mr. Amit Gupta, PP |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI**

**Order**

**27/07/2026**

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना हिण्डौन, जिला करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 149/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 25, 29 स्वापक औषधि एवं

मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम एवं धारा 111(2)(b) भारतीय न्याय संहिता में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषकगण का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दुर्गेश से 06 ग्राम 50 मिलीग्राम, प्रार्थी/अभियुक्त लीकेश से 05 ग्राम 72 मिलीग्रमा एवं प्रार्थी/अभियुक्त विनोद से 05 ग्राम 19 मिलीग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुआ है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा का है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लीकेश व विनोद के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं रहा है एवं प्रार्थी/अभियुक्त दुर्गेश के विरूद्ध पूर्व में 04 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दुर्गेश के विरूद्ध मादक पदार्थ से संबंधित अपराध का अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 08.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा का मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त दुर्गेश के विरूद्ध पूर्व में 04 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के पृथक–पृथक कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा से कम मादक पदार्थ बरामद हुआ है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 08.06.2026 से अभिरक्षा में चल रहे हैं, उनसे कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्राथीगण/अभियुक्तगण लीकेश व विनोद के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं रहा है। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त दुर्गेश के विरूद्ध पूर्व में 04 प्रकरण दर्ज रहे हैं तथापि Prabhakar Tewari Vs. The State of Uttar Pradesh; AIRONLINE 2020 SC 96 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार केवल मात्र पूर्व में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अपराध से संबंधित प्रकरण दर्ज नहीं होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. दुर्गेश पुत्र गोरधन 2. लीकेश कुमार पुत्र लाखनसिंह, 3. विनोद कुमार पुत्र रमसो** की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (Criminal) No. 04/2021 In Re Policy Strategy for Grant of Bail & SLP (Cri.) No. 529/2021 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को सूचित करने हेतु इस आदेश की प्रति संबंधित कारागृह को जरिये ईमेल प्रेषित की जावे।

**(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J**

**18-19**/AKSHAY KUMAR PAREEK/P.A.